

29.04.2024

फावली आज पेच डुई अधिवक्ता पडाकारने
उपस्थित प्रार्थि अधिवक्ता इस प्रकरण को आगे
नही चलाना चाहते है और प्रार्थि अधिवक्ता इस
इस प्रार्थना पत्र को दिनांक 26.03.2024 को नव प्रच्छ
ठिया गया है और प्रार्थि अधिवक्ता इस इस
प्रार्थना पत्र को नव प्रच्छ ठिस जाने से प्रार्थि की
यह प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज ठिया जाता है
विषय से रजलास सुनाया गया। फावली फंसल
शुमार लेकर नम्बर से उम ही

(शुभम चौधरी)
जिला कलेक्टर, सिरौही

